

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

अहकाम जो हुक्म को लागू में जारी हुआ

15/6/21

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 5/7/21 को पेश हो।

5/7/21

पत्रावली प्रस्तुत हुई, आभे वादी प्रतिवादी उपस्थिति पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते श. वा. आयन्दा दिनांक 22/8/21 को पेश हो।

3/12/21

पत्रावली प्रस्तुत हुई, आभे वादी प्रतिवादी उपस्थिति पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते श. वा. आयन्दा दिनांक 30/8/22 को पेश हो।

Se  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल अजमेर

27/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई, आभे वादी प्रतिवादी उपस्थिति पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते श. वा. आयन्दा दिनांक 27/6/22 को पेश हो।

21/09/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई, आभे वादी प्रतिवादी उपस्थिति पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते श. वा. आयन्दा दिनांक 21/9/22 को पेश हो।

Not Press  
L.S.

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में Not Press किया। अतः वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 RTA Not Press के आधार पर इसी स्ट्रेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कुल शुमार दोष नम्बर से कम है।